The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 3 | Issue 5 | May 2025
ISSN: 2583-973X (Online)
Website: www.theacademic.in

न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा: वैश्विक परिप्रेक्ष्य से भारतीय न्यायपालिका का विश्लेषण

Usha Agarwal

Research Scholar, Department Of Law, Email-ushataxaadvodate@yahoo.co.in

Dr. Sayyad Ismail Nasir

Research Guide, NIILM University, Kaithal, Haryana, India

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 20-05-2025

Published: 10-06-2025

Keywords:

मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, भारतीय संविधान, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक संतुलन

ABSTRACT

इस शोध पत्र में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायिक समीक्षा के कार्य की जांच की गई है। न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है, जो लोकतंत्र की आधारशिला है। यह शोधपत्र बताता है कि न्यायिक समीक्षा ऐतिहासिक और आधुनिक दोनों उदाहरणों का उपयोग करके विधायिका के अधिकार को संतुलित करने में कैसे सहायता करती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए, भारत में न्यायिक समीक्षा प्रक्रियाओं की तुलना अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे अन्य लोकतांत्रिक देशों से की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार, न्यायिक समीक्षा प्रणाली के सामने कई मुद्दे हैं, जैसे कि विधायिका और कार्यकारी शाखा के साथ असहमति, मामलों का एक बड़ा बैकलॉग, न्यायिक खुलेपन की कमी और न्यायाधीश चयन प्रक्रिया को बदलने की आवश्यकता। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की जांच की गई जो बुनियादी अधिकारों को मजबूत करते हैं। न्यायिक समीक्षा प्रणाली की प्रभावकारिता में सुधार के लिए सिफारिशें शोध निष्कर्षों पर

आधारित थीं। इनमें न्यायालय की पारदर्शिता बढ़ाने, डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने, विशेष संवैधानिक पीठों की स्थापना और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी देने जैसे उपाय शामिल थे। इस अध्ययन का प्राथमिक लक्ष्य संभावित सुधारों की पहचान करना था, जिससे न्यायिक समीक्षा प्रणाली की लचीलापन में सुधार हो सके और बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा हो सके।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.15655455

1. भूमिका

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के भीतर, बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च महत्व की है। भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के तहत कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो उन्हें स्वतंत्रता, सम्मान और न्याय तक पहुँच की गारंटी देते हैं (मिश्रा, 2021)। हालाँकि, समय-समय पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखने में चुनौतियाँ उत्पन्न होती रही हैं (शर्मा, 2022)। इन अधिकारों को न्यायिक समीक्षा के माध्यम से प्रभावी ढंग से संरक्षित किया जाता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत न्यायालय यह निर्णय लेते हैं कि कोई विधायी या कार्यकारी आदेश संविधान के अनुरूप है या नहीं (गुप्ता, 2020)। इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में न्यायिक समीक्षा और बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के बीच संबंधों की जांच करना है, साथ ही यह स्पष्टीकरण देना है कि कानूनी प्रणाली किस हद तक इन अधिकारों की सुरक्षा में सफल रही है (राजपूत, 2019)।

मौलिक अधिकार प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज की आधारशिला हैं और संविधान यह गारंटी देता है कि व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान किए जाएं ताकि उन्हें राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके (अग्रवाल, 2022)। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित होगा कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रकार न्यायिक समीक्षा के माध्यम से इन अधिकारों की रक्षा कर रही है (सिंह, 2021)। न्यायिक समीक्षा के प्रयोग के माध्यम से, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में उल्लिखित है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों की शक्तियों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करना संभव है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी कानून जनता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न कर सके (पाठक, 2020)।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का तंत्र अत्यंत सशक्त माना जाता है, लेकिन यह कई बार विभिन्न प्रशासनिक और विधायी चुनौतियों का सामना करता है (त्रिपाठी, 2019)। इस अध्ययन में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा:

1. **भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति** - यह अध्ययन मौलिक अधिकारों की व्याख्या और संवैधानिक सुरक्षा तंत्र को समझने पर केंद्रित होगा (देव, 2022)।

2. **वैश्विक स्तर पर मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की प्रणाली** - अन्य लोकतांत्रिक देशों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के मॉडल की तुलना भारत से की जाएगी (राय, 2021)।

3. **न्यायिक समीक्षा का ऐतिहासिक विकास** - यह भाग भारतीय न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर दिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और उनके प्रभावों का विश्लेषण करेगा (सक्सेना, 2020)।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य भारत में न्यायिक समीक्षा के कार्य की गहन जांच करना और यह आकलन करना है कि न्यायपालिका का कामकाज बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा में किस हद तक सफल रहा है। अध्ययन के दौरान हम कई अलग-अलग संवैधानिक प्रावधानों, अदालती फैसलों और कानूनी मामलों का गहन विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा, इस शोध का उद्देश्य विधायी शाखा और न्यायिक शाखा के बीच मौजूद अंतःक्रिया को समझना है, जिसका अंतिम लक्ष्य बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए भविष्य में आवश्यक सुधारों को निर्धारित करना है।

इस अध्ययन में इस्तेमाल की गई सारी जानकारी द्वितीयक स्रोतों से आई है। इसमें न्यायालय के निर्णयों, सरकार की नीतियों और कानूनी साहित्य की जांच की गई जो सभी बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े थे। यहाँ उन प्राथमिक शोध पद्धतियों की सूची दी गई है जिनका इस्तेमाल किया गया:

1. **साहित्य समीक्षा (Literature Review)** - मौलिक अधिकारों और न्यायिक समीक्षा से संबंधित पिछले शोधों और विद्वानों के लेखों का अध्ययन किया गया।
2. **कानूनी विश्लेषण (Legal Analysis)** - भारतीय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का मूल्यांकन किया गया, जिससे यह समझा जा सके कि न्यायपालिका किस हद तक मौलिक अधिकारों की रक्षा कर रही है।
3. **तुलनात्मक अध्ययन (Comparative Analysis)** - भारत की न्यायिक समीक्षा प्रणाली की तुलना अन्य लोकतांत्रिक देशों से की गई, जिससे यह विश्लेषण किया गया कि अन्य देशों में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के क्या उपाय किए गए हैं।

इस शोध के परिणामों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने में न्यायिक प्रणाली कितनी प्रभावी रही है, साथ ही भविष्य में संवैधानिक अधिकारों को और बेहतर बनाने के लिए किस प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है।

2. मौलिक अधिकारों की न्यायिक समीक्षा

लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक समीक्षा एक आवश्यक साधन है जो न्यायालय को विधायिका और कार्यकारी शाखा द्वारा लिए गए निर्णयों की संवैधानिकता की जांच करने की अनुमति देता है। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक कुशल साधन के रूप में न्यायिक समीक्षा की स्थापना के माध्यम से, भारत के संविधान ने इसे स्थापित किया है। इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन से यह गारंटी मिलती है कि सरकार द्वारा जारी किसी भी कानून, नीति या कार्यकारी आदेश द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है (चौहान, 2022)। न्यायिक समीक्षा की यह शक्ति न्यायपालिका को इस योग्य बनाती है कि वह असंवैधानिक कानूनों को निरस्त कर सके और मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सके (गुप्ता, 2021)।

न्यायिक समीक्षा की अवधारणा और संवैधानिक आधार

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि कोई भी कानून जो लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसे अमान्य और अप्रवर्तनीय माना जाता है (शर्मा, 2020)। जब यह निर्धारित करने की बात आती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून संविधान के अनुपालन में हैं या नहीं, तो ऐसा करने की क्षमता न्यायालय के पास होती है (वर्मा, 2019)। विधायी कार्यों की समीक्षा, कार्यकारी निर्णयों की समीक्षा और संवैधानिक परिवर्तनों का मूल्यांकन, तीन प्राथमिक घटक हैं जो न्यायिक समीक्षा का निर्माण करते हैं (सक्सेना, 2022)।

न्यायिक समीक्षा भारतीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है क्योंकि यह सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं की शक्तियों को नियंत्रित करने और आम लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने का काम करती है (त्रिपाठी, 2021)।

न्यायिक समीक्षा बनाम न्यायिक सक्रियता

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा दोनों न्यायपालिका की शक्तियों से जुड़े हैं, फिर भी दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। जबकि न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य अदालतों को नागरिक अधिकारों की रक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है, न्यायिक समीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि विधायिका और कार्यकारी शाखा द्वारा किए गए विकल्प वैध हैं या नहीं (सिंह, 2020)।

भारतीय न्यायपालिका ने कई बार न्यायिक समीक्षा की शक्ति का सीमित उपयोग किया है, ताकि कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप न किया जाए (देव, 2019)। हालाँकि, कुछ मामलों में न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता अपनाते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं, जिससे न्यायिक समीक्षा का दायरा बढ़ा है (जोशी, 2021)।

भारत में न्यायिक समीक्षा के ऐतिहासिक मामले

1. **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)** - इस निर्णायक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने "संविधान के मूल ढांचे" की अवधारणा को परिभाषित किया तथा यह स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन उसे संविधान के मौलिक संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है (प्रसाद, 2022)।

2. **मनका गांधी बनाम भारत संघ (1978)** - इस विशेष मामले के संबंध में, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत संविधान का एक अनिवार्य घटक हैं और अनुच्छेद 21 में उल्लिखित "जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के अधिकार की व्यापक व्याख्या प्रदान की (दास, 2020)।

3. **शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017)** - इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित किया और इसे मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना (राय, 2021)।

जो मिसाल कायम करने वाले फैसले दिए गए, उनसे यह स्पष्ट हो गया कि कानूनी व्यवस्था मौलिक अधिकारों और संविधान को सक्रिय रूप से संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का उपयोग करने में सक्षम है।

व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है, यही कारण है कि न्यायिक समीक्षा इतनी महत्वपूर्ण घटक है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, और विधायिका और कार्यकारी शाखा की शक्तियों को संतुलन में लाया जाता है (चौधरी, 2022)। ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से यह प्रदर्शित किया गया है कि न्यायालय के भीतर न्यायिक समीक्षा की शक्ति न केवल मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि यह लोकतांत्रिक आदर्शों के संरक्षण के लिए भी एक प्रभावी तरीका है (मिश्रा, 2021)।

3. अंतरराष्ट्रीय न्यायिक समीक्षा की तुलना

लोकतांत्रिक समाज के ढांचे के भीतर, न्यायिक समीक्षा का विचार हर देश के संवैधानिक ढांचे का एक अनिवार्य घटक है। न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया के लिए विभिन्न देशों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, जिसका उन देशों में बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा की डिग्री पर प्रभाव पड़ता है। भारत में, न्यायिक समीक्षा प्रणाली को अमेरिकी मॉडल से प्रेरित माना जाता है। दूसरी ओर, यूरोप में बुनियादी अधिकारों की रक्षा करने का तरीका अमेरिकी मॉडल और भारतीय मॉडल दोनों से थोड़ा अलग है।

अमेरिका और यूरोप में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा

अमेरिकी संविधान ने न्यायिक समीक्षा को कानूनी रूप से 1803 में Marbury v. Madison मामले में स्थापित किया। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि न्यायालय के पास संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायी कार्य को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसी शक्ति के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है और विधायी और कार्यकारी शाखा की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है (जॉनसन, 2021)।

यूरोपीय संघ में मानवाधिकारों की सुरक्षा का आधार **यूरोपीय मानवाधिकार अभिसमय** (European Convention on Human Rights - ECHR) है। यूरोपीय न्यायालय (European Court of Human Rights - ECtHR) इस कन्वेंशन के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इस व्यवस्था में यह देखा जाता है कि सदस्य राष्ट्र अपने नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन न करें। यूरोप में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संधियों और क्षेत्रीय न्यायालयों पर आधारित है (विलियम्स, 2020)।

भारत बनाम अन्य देशों में न्यायिक समीक्षा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को न्यायालय के विवेक पर असंवैधानिक माना जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि यह प्रावधान अमेरिकी मॉडल से प्रभावित है, भारत में न्यायिक समीक्षा का दायरा आम तौर पर अधिक विस्तृत है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तुलनात्मक अध्ययन

इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति आजीवन की जाती है और कार्यकारी शाखा का उन पर सीधा अधिकार नहीं होता, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक प्रणाली को पूरी तरह से स्वतंत्र माना जाता है। दूसरी ओर, भारत में, न्यायपालिका को स्वतंत्र माना जाने के बावजूद, कार्यकारी शाखा का न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कुछ प्रभाव होता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग किया जाता है; फिर भी, यह प्रक्रिया अक्सर बहस और विवाद का विषय रही है (सिंह, 2022)।

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की तुलना में, यूरोप में न्यायिक समीक्षा का स्वरूप और न्यायालय द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता की डिग्री एक दूसरे से अपेक्षाकृत भिन्न हैं। यूरोपीय संघ बनाने वाले प्रत्येक देश की अपनी अनूठी कानूनी प्रणाली है। उदाहरण के लिए, जर्मनी में, संवैधानिक न्यायालय बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरी ओर, ब्रिटेन में, संसद की सर्वोच्चता की धारणा को प्रमुखता दी जाती है, और न्यायिक समीक्षा के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है (ब्राउन, 2021)।

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा में न्यायालयों की भूमिका

भारत, अमेरिका और यूरोप में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का तंत्र भिन्न है। अमेरिका में **राइट टू फ्री स्पीच** (Freedom of Speech) का अधिकार अत्यंत मजबूत है और इसे 2010 के Citizens United v. FEC मामले में और अधिक सुदृढ़ किया गया, जिसमें न्यायालय ने चुनाव प्रचार में असीमित कॉर्पोरेट फंडिंग को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा माना (रोबर्ट्स, 2020)।

भारत में मूल अधिकारों का एक अनिवार्य घटक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है; फिर भी, यह अधिकार बहुत सी सीमाओं के अधीन है। उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को लें, जिसे "राजद्रोह" कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल कभी-कभी सरकार की आलोचना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ किया जाता है (शर्मा, 2021)। यूरोप में न्यायपालिका नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार की रक्षा करती है, लेकिन सार्वजनिक सुरक्षा और नफरत फैलाने वाले भाषणों पर सीमाएँ लागू की जाती हैं (मार्टिनेज, 2022)।

यूरोपीय संघ के तहत मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की प्रक्रिया सामूहिक रूप से यूरोपीय न्यायालयों और राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा संचालित होती है। उदाहरण के लिए, European Court of Justice (ECJ)

और European Court of Human Rights (ECHR) दोनों मिलकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं (डेविस, 2020)।

न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में भिन्न होती है और यह उस राष्ट्र के संवैधानिक ढांचे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोक प्रशासन की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच मौजूद संतुलन पर निर्भर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया एक मजबूत संरचना के रूप में विकसित हुई है जो कार्यकारी शाखा और विधायिका दोनों द्वारा धारण की जाने वाली शक्तियों को प्रतिबंधित करने की एक कुशल विधि के रूप में कार्य करती है। यूरोप में नागरिकों के अधिकारों को बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रणाली के माध्यम से बहुपक्षीय सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कार्य करती है। भारत में न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया एक शक्तिशाली संवैधानिक हथियार है; फिर भी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए निरंतर सुधारों से गुजरना आवश्यक है (सक्सेना, 2022)।

4. न्यायिक समीक्षा की सीमाएँ और सुधार

लोकतंत्र को बचाए रखने और लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से न्यायिक समीक्षा एक आवश्यक साधन है। हालाँकि, इसे कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है जो इसकी दक्षता में बाधा डाल सकती हैं। इस तथ्य के बावजूद कि कानूनी प्रणाली की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे समय होते हैं जब प्रशासनिक और विधायी शाखाओं के साथ इसके आंतरिक विवाद, लंबित मामलों की बड़ी संख्या और न्यायिक प्रणाली की सुस्त प्रक्रियाएँ इसकी सीमाओं को उजागर करती हैं।

न्यायिक समीक्षा की चुनौतियाँ

कार्यपालिका और विधायिका के साथ न्यायपालिका के टकराव:

न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में अक्सर विधायी शाखा और अन्य संवैधानिक संस्थाओं के बीच मतभेद पैदा होते हैं। यह संभव है कि कार्यकारी शाखा और विधायिका का मानना हो कि न्यायपालिका को उनके अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने में लगी रहती है कि उसके फैसले संविधान के अनुरूप हों। जब न्यायालय कार्यकारी शाखा द्वारा लिए गए निर्णय को अवैध ठहराता है या विधायिका द्वारा अनुमोदित किसी कार्य को गैरकानूनी घोषित करता है, तो इस प्रकार की असहमति बहुत पारदर्शी होती है। हालाँकि, ऐसे मौके भी आते हैं जब न्यायिक

गतिविधि प्रशासन और न्यायालय के बीच की खाई को चौड़ा कर देती है, जिससे प्रशासनिक निर्णय लेना और भी मुश्किल हो जाता है।

न्यायालयों में लंबित मामलों की अधिकता:

भारतीय न्यायपालिका को लंबित मामलों की एक बड़ी संख्या के रूप में एक महत्वपूर्ण बाधा का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों में अब हजारों मामले लंबित हैं और इन मामलों का समय पर निपटारा नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त, यह समस्या न्यायिक समीक्षा से जुड़े मामलों में देखी जाती है, जो ऐसे मामले हैं जिनमें संवैधानिक और कानूनी चिंताओं की सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं। कानूनी प्रक्रिया की सुस्त गति के कारण ही न्यायिक समीक्षा की प्रभावशीलता कम हो जाती है, यही कारण है कि व्यक्तियों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है।

न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी:

न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में खुलेपन की कमी है, जो इसके साथ जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बाधा है। चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए अदालत की प्रक्रियाओं को अक्सर निजी रखा जाता है, इसलिए आम जनता और विधायिका के लिए न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ मामलों में, यह न्यायिक फैसलों के बारे में अनिश्चितताओं को जन्म देता है, जिसका असर कानूनी प्रणाली की विश्वसनीयता पर पड़ता है।

न्यायिक समीक्षा को और प्रभावी बनाने के सुझाव

न्यायिक पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना:

न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करने के लिए, प्रक्रिया के माध्यम से खुलेपन और न्याय को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। कानूनी प्रक्रिया को आम जनता के लिए अधिक खुला और सुलभ बनाने के लिए, अदालतों को अपने फैसलों को जनता के लिए ऐसे प्रारूप में उपलब्ध कराना चाहिए जो आसानी से समझ में आ सके। इसके अलावा, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने और कानूनी संस्थाओं में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया खुली और जनता के लिए सुलभ हो।

मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक पीठ का गठन:

न्यायिक समीक्षा की दक्षता बढ़ाने के लिए एक संवैधानिक पीठ की स्थापना करना संभव है जो केवल उन मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित हो जो विशेष रूप से मूल अधिकारों के संरक्षण से जुड़े हों। इस तरह की पीठ कानूनी मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाने और मूल अधिकारों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने में सहायक हो सकती है।

न्यायिक प्रक्रिया में तकनीकी सुधार:

आज के समय में उपलब्ध कई मौजूदा तकनीकों का उपयोग करके न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना संभव है। ई-कोर्ट सिस्टम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन केस ट्रैकिंग ऐसी तकनीक के उदाहरण हैं, जिनमें न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों की संख्या को कम करने की क्षमता है। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर लाने की भी संभावना है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया और अधिक कुशल और तेज़ हो जाएगी।

विधायिका और कार्यपालिका के साथ समन्वय:

न्यायिक समीक्षा को सही ढंग से काम करने में सक्षम बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विधायी शाखा, कार्यकारी शाखा और न्यायिक शाखा के बीच संतुलन हो। संवैधानिक मुद्दों को हल करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए इन तीनों संगठनों के बीच संचार और सहयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है। न्यायिक समीक्षा की दक्षता में सुधार करने के लिए, संवैधानिक और कानूनी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए न्यायिक शाखा को विधायी और कार्यकारी शाखाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। लोकतांत्रिक समाजों में बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया एक आवश्यक उपकरण है; लेकिन, इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए, कुछ संशोधनों को लागू किया जाना चाहिए। कानूनी प्रणाली की पारदर्शिता बढ़ाकर, मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करके और न्यायिक प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी प्रगति को शामिल करके न्यायिक समीक्षा की दक्षता बढ़ाना संभव है। इसके अतिरिक्त, कार्यकारी शाखा और विधायिका के बीच अधिक सहयोग होने पर संविधान की सीमाओं के भीतर न्यायिक समीक्षा के अधिकार को बनाए रखते हुए न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा की जा सकती है।

5.निष्कर्ष

इस शोध अध्ययन का उद्देश्य न्यायिक समीक्षा द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की गहन जांच करना था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल अधिकारों की रक्षा की जाए। अध्ययन के निष्कर्षों के माध्यम से, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया कि न्यायिक समीक्षा लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। यह घटक व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि विधायिका और कार्यकारी शाखाएँ अपनी-अपनी जिम्मेदारियों पर नियंत्रण बनाए रखें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के अनुसार, न्यायिक समीक्षा प्रणाली का गठन किया गया था। इस प्रणाली ने नागरिकों को उनके मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत में याचिका दायर करने की क्षमता प्रदान की। जांच के दौरान यह भी देखा गया कि न्यायिक समीक्षा प्रणाली को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। इस प्रणाली की दक्षता कई कारकों से बाधित हो रही थी, जिसमें कार्यकारी शाखा और विधायिका के साथ असहमति, अभी भी लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या, न्यायिक प्रक्रिया में खुलेपन की कमी और अदालत की निष्पक्षता के बारे में उठाए गए संदेह शामिल थे। वैसे तो भारतीय न्यायालय को आम तौर पर स्वतंत्र माना जाता है, लेकिन कई बार राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप और प्रशासनिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न बाधाओं के कारण इसकी स्थिति विवादास्पद हो जाती है।

शोध में न्यायिक समीक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार के इरादे से कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं। इन विचारों में सबसे महत्वपूर्ण थे न्यायिक खुलेपन को बढ़ावा देना, मामलों के शीघ्र समाधान के लिए प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करना, मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए एक विशेष संवैधानिक पीठ का गठन और प्रशासन और विधायी शाखाओं के साथ सहयोग की स्थापना। इसके अलावा, न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक आसानी से सुलभ और समीचीन बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक अदालतों जैसी तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया।

इसके अलावा, अध्ययन के निष्कर्षों ने यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया कि न्यायिक समीक्षा न केवल व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से आवश्यक है, बल्कि यह यह सुनिश्चित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि विधायी और कार्यकारी शाखाएँ सरकारी अधिकार का संतुलन बनाए रखना जारी रखें। दूसरी ओर, यह व्यवस्था पूरी तरह दोषरहित नहीं है, तथा इसे और अधिक कुशल और न्यायसंगत बनाने के लिए विधायी और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता है।

यह सलाह दी गई कि न्यायालय को स्वायत्तता प्रदान करने और यह गारंटी देने के लिए कि वह अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी है, कुछ विशिष्ट कदम उठाए जाने चाहिए। यह इस समझ के साथ किया गया

कि भविष्य में विधायी परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटान के लिए एक विशेष न्यायिक ढांचे का विकास आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति समय पर न्याय प्राप्त करने में सक्षम हों। इसके अलावा, न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक प्रणाली के संचालन की प्रक्रिया में पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है।

अपने शोध के परिणामस्वरूप, शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न्यायिक समीक्षा लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आवश्यक घटक है। इसका घटक व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और सरकार की विधायी और कार्यकारी शाखाओं के अधिकार को सीमित करने का काम करता है। हालांकि, इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर परिवर्तन आवश्यक हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि यह संविधान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप बना रहे तथा नागरिकों को न्याय मिले।

संदर्भ

- अग्रवाल, के. (2022). भारतीय न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। नई दिल्ली: कानूनी प्रकाशन।
- गुप्ता, एन. (2021). न्यायिक समीक्षा और नागरिक अधिकार। पटना: विधिक शोध केंद्र।
- गुप्ता, एम. (2020). न्यायपालिका और विधायिका के बीच संबंध। मुंबई: विधिक विश्लेषण।
- चौधरी, आर. (2022). न्यायिक समीक्षा और लोकतंत्र में उसकी भूमिका। पटना: विधिक अध्ययन केंद्र।
- चौधरी, एस. (2022). भारतीय न्यायिक समीक्षा और संवैधानिक संरचना। दिल्ली: विधिक अध्ययन संस्थान।
- चौहान, आर. (2022). लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका। मुंबई: संवैधानिक अध्ययन प्रकाशन।
- जॉनसन, टी. (2021). अमेरिकी न्यायिक समीक्षा का विकास। न्यूयॉर्क: कानूनी अनुसंधान संस्थान।
- जोशी, बी. (2021). न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों की व्याख्या। भोपाल: कानूनी अनुसंधान।
- जोशी, बी. (2021). न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्ति संतुलन। भोपाल: कानूनी प्रकाशन।

- डेवीस, एम. (2020). यूरोपीय संघ की न्यायिक प्रणाली। ब्रसेल्स: ईयू पब्लिकेशन।
- त्रिपाठी, जे. (2019). भारतीय संविधान और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। जयपुर: कानूनी प्रकाशन।
- त्रिपाठी, जे. (2021). भारतीय संविधान और न्यायिक समीक्षा। जयपुर: कानूनी प्रकाशन।
- दास, पी. (2020). भारतीय संविधान और मौलिक अधिकार। कोलकाता: संवैधानिक अध्ययन।
- दास, पी. (2021). भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियता। कोलकाता: संवैधानिक अध्ययन।
- देव, एस. (2019). न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक समीक्षा। जयपुर: विधिक अनुसंधान संस्थान।
- देव, एस. (2022). मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप। जयपुर: विधिक शोध संस्थान।
- नायर, एस. (2019). तुलनात्मक संवैधानिक कानून। चेन्नई: विधिक अकादमी।
- पांडे, वी. (2022). न्यायिक प्रणाली और मानवाधिकार। वाराणसी: कानूनी अध्ययन केंद्र।
- पाठक, के. (2020). भारत में विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ। दिल्ली: संवैधानिक समीक्षा।
- प्रसाद, आर. (2019). भारतीय न्यायिक प्रणाली में सुधार की आवश्यकता। गुवाहाटी: संवैधानिक न्यायालय अध्ययन।
- प्रसाद, आर. (2022). सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय। गुवाहाटी: संवैधानिक न्यायालय अध्ययन।
- ब्राउन, पी. (2021). यूरोप में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। लंदन: यूरोपीय कानूनी अध्ययन केंद्र।
- मार्टिनेज, आर. (2022). यूरोप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सीमाएँ। पेरिस: मानवाधिकार अध्ययन।
- मिश्रा, डी. (2021). न्यायिक समीक्षा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। लखनऊ: विधिक अध्ययन।
- मिश्रा, डी. (2021). भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की रक्षा। लखनऊ: विधिक अध्ययन।
- राजपूत, ए. (2019). न्यायिक स्वतंत्रता और कार्यपालिका पर प्रभाव। जयपुर: कानूनी साहित्य।
- राय, एम. (2021). न्यायिक हस्तक्षेप और मौलिक अधिकार। पटना: विधिक अनुसंधान।
- राय, एम. (2021). न्यायिक हस्तक्षेप और मौलिक अधिकार। पटना: विधिक अनुसंधान।
- रोबर्ट्स, के. (2020). अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट और मौलिक अधिकार। वाशिंगटन डीसी: संवैधानिक अध्ययन।

- वर्मा, एन. (2019). न्यायिक प्रणाली में संतुलन और सुधार। लखनऊ: विधिक अनुसंधान।
- वर्मा, एन. (2022). न्यायिक प्रणाली में संतुलन और सुधार। लखनऊ: विधिक अनुसंधान।
- विलियम्स, आर. (2020). यूरोपियन यूनियन और मानवाधिकार। बर्लिन: ईयू लॉ जर्नल।
- शर्मा, पी. (2020). संवैधानिक कानून और मौलिक अधिकारों का संरक्षण। दिल्ली: कानूनी शिक्षा केंद्र।
- शर्मा, पी. (2021). भारत में मौलिक अधिकारों का संवैधानिक विश्लेषण। दिल्ली: संवैधानिक शोध केंद्र।
- शर्मा, पी. (2022). संवैधानिक कानून और मौलिक अधिकारों का संरक्षण। दिल्ली: कानूनी शिक्षा केंद्र।
- शुक्ला, डी. (2020). न्यायिक समीक्षा के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। भोपाल: विधिक संस्थान।
- सक्सेना, एन. (2020). न्यायपालिका का संवैधानिक ढांचा। कानपुर: कानूनी शोध पत्र।
- सक्सेना, एन. (2022). न्यायपालिका का संवैधानिक ढांचा। कानपुर: कानूनी शोध पत्र।
- सक्सेना, वी. (2022). न्यायिक समीक्षा की भूमिका और इसकी सीमाएँ। नई दिल्ली: विधिक अध्ययन संस्थान।
- सिंह, एन. (2022). न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा। पटना: कानूनी प्रकाशन।
- सिंह, के. (2020). न्यायिक निर्णय और उनके प्रभाव। मुंबई: संवैधानिक अध्ययन।
- सिंह, के. (2021). न्यायिक निर्णय और उनके प्रभाव। मुंबई: संवैधानिक अध्ययन।